



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

रिट याचिका (कर) संख्या 168/2018

मेसर्स भारती एसोसिएट्स (अब मेसर्स श्री महालक्ष्मी ट्रेडर्स के रूप में जाना जाता है) बस्तर रोड धमतरी, छत्तीसगढ़। इसके मालिक श्री कल्पेश मेहता पिता श्री हर्षद मेहता के द्वारा , 43 वर्ष निवासी बी-15, रोमनस्क्यू विला, लाभंडी, रायपुर, छत्तीसगढ़।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, सिविल लाइन्स, रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. आयुक्त, राजभवन, वाणिज्यिक कर के पीछे सिविल लाइन रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. छत्तीसगढ़ राज्य, प्रधान सचिव के द्वारा , वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर, छत्तीसगढ़।
4. वाणिज्यिक कर अधिकारी, चोरी शाखा रायपुर, छत्तीसगढ़।

---उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता हेतु:--श्री आनंद दादरिया, अधिवक्ता

2024:सी जी एच सी :37906 श्री अनुराग त्रिपाठी, पैनल अधिवक्ता

माननीय श्री अरविंद कुमार वर्मा, न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

25/09/2024

1. वर्तमान रिट याचिका में चुनौती कर निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए उत्तरवादी संख्या 1 द्वारा पारित दिनांक 15.05.2017 (अनुलग्नक पी/4) आदेश और उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 22.01.2018 (अनुलग्नक पी/8) आदेश को लेकर है।



2. वर्तमान रिट याचिका में शामिल विवाद्यक यह है कि क्या उत्तरवादी अधिकारियों के पास केवल निर्धारिती द्वारा किए गए मानित मूल्यांकन को स्वीकार करने तथा इसे मूल्यांकन आदेश के रूप में माने जाने वाले मूल्यांकन आदेश के बिना किए गए मूल्यांकन को फिर से खोलने की शक्ति होगी।

3. जहाँ तक इस न्यायालय का संबंध है, इसमें शामिल विवाद्यक अब एकीकृत नहीं है। इस न्यायालय की एकल पीठ द्वारा कई रिट याचिकाओं को पहले ही अनुमति दी जा चुकी है और जिसे युगल पीठ ने भी पुष्टि की है।

4. वर्तमान रिट याचिका में चुनौती छत्तीसगढ़ वैट अधिनियम (संक्षेप में, अधिनियम) की धारा 22 के तहत आदेश को लेकर है, जिसके तहत उत्तरवादी अधिकारियों ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए मानित मूल्यांकन को फिर से खोल दिया है। याचिकाकर्ता का यह भी तर्क है कि मूल्यांकन को पुनः खोलने की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब उत्तरवादी द्वारा मूल्यांकन आदेश पारित किया गया हो, जैसा कि अधिनियम की धारा 21(1) के तहत अपेक्षित है, जो कि इस मामले में पारित नहीं किया गया है और उत्तरवादी प्राधिकारियों ने याचिकाकर्ता के मामले में कथित मूल्यांकन के आधार पर खाते को पुनः खोलने की कार्यवाही की है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इसी विषय पर इस न्यायालय की खंडपीठ के हाल ही में दिए गए दो निर्णयों का उल्लेख किया, अर्थात् एक जो डब्लूए संख्या 687/2018 (छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य बनाम मेसर्स टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड) और अन्य संबंधित अपीलों में 18.08.2022 को निर्धारित किया गया था। राज्य द्वारा ये अपील डब्लूपीटी संख्या 79/2017 (मेसर्स टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य) में 20.03.2018 को निर्धारित किए गए एकल पीठ द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध थीं। रिट याचिका में रिट न्यायालय ने समान तथ्यों के आधार पर पुनर्मूल्यांकन के आदेश को त्रुटिपूर्ण अभिनिर्धारित किया था, जबकि मूल्यांकन का आदेश उत्तरवादियों द्वारा जारी नहीं किया गया था। इसे युगल पीठ के समक्ष चुनौती दी गई और युगल पीठ ने इसकी पुष्टि करते हुए राज्य द्वारा दायर तीन अपीलों को खारिज कर दिया गया। युगल पीठ ने अपने आदेश में कंडिका संख्या 23 से 26, 28 और 29 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:---

“23. वैट अधिनियम की धारा 22(1) अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करती है कि जहाँ किसी व्यापारी का मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन वैट अधिनियम के तहत किया गया है और किसी भी कारण से किसी भी अवधि के दौरान वैट अधिनियम या इस अधिनियम द्वारा निरस्त अधिनियम के तहत कर योग्य वस्तुओं की विक्रय या क्रय, (क) कम मूल्यांकन किया गया है या मूल्यांकन से बच गया है, या (ख) कम दर पर मूल्यांकन किया गया है या (ग) मूल्यांकन करते समय कोई गलत कटौती की गई है, या (घ) मूल्यांकन करते समय इनपुट कर की छूट त्रुटिपूर्ण तरीके से दी गई है, या (ड) किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी निर्णय या आदेश के परिणामस्वरूप या उसके अंतिम होने के आलोक में त्रुटिपूर्ण और राजस्व के हित के प्रतिकूल है, आयुक्त मूल्यांकन के आदेश दिनांक से या किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय या आदेश दिनांक से पांच कैलेंडर वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय, निर्धारित तरीके से, ऐसी जांच करने के बाद, ऐसे व्यापारी द्वारा



देय कर का मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन करने के लिए आगे बढ़ सकता है। जैसा कि वह आवश्यक समझे, तथा कर निर्धारण या पुनर्निर्धारण कर सकता है।

24. चूंकि वैट अधिनियम की धारा 22(1) में उल्लिखित शब्द "आदेश" को वैट अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(14) में "आदेश" की परिभाषा तथा ब्लैक लॉ डिक्शनरी (आठवें संस्करण) में शब्द "आदेश" के शब्दकोश अर्थ की सहायता ली, ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि वैट अधिनियम की धारा 22(1) में प्रयुक्त शब्द "मूल्यांकन का आदेश" स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि रिटर्न और वैधानिक अनुपालनों तथा याचिकाकर्ता द्वारा धारा 21(2) के विपरीत प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को ध्यान में रखने के बाद मूल्यांकन अधिकारी द्वारा औपचारिक निर्णय होना चाहिए, जो कि एक मानित मूल्यांकन है।

25. विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया है कि वैट अधिनियम की धारा 22(1) में "मूल्यांकन के आदेश दिनांक से" शब्दों का प्रयोग स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि पुनर्मूल्यांकन की शक्ति का प्रयोग करने से पहले मूल मूल्यांकन आदेश अस्तित्व में होना चाहिए। मूल्यांकनाधीन निर्णय के कंडिका 34 में निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:—

"34. इस प्रकार, संक्षेप में, वैट अधिनियम की धारा 22(1) के तहत अधिकार क्षेत्र लागू करने या पुनर्मूल्यांकन के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए मूल्यांकन अधिकारी द्वारा विधिवत पारित मूल्यांकन आदेश होना चाहिए और धारा 22(1) को लागू करने के लिए एक शर्त के रूप में इसे अस्तित्व में होना चाहिए और निर्धारित सीमा ऐसी कार्यवाही शुरू होने की तारीख से पांच कैलेंडर वर्ष है, जबकि धारा 21(2) के तहत माना गया मूल्यांकन आदेश वैट अधिनियम की धारा 21(3) के तहत ऐसे वर्ष से एक कैलेंडर वर्ष के भीतर ही पुनर्मूल्यांकन योग्य है। यदि वैट अधिनियम की धारा 21(7) के तहत पारित कोई मूल्यांकन आदेश नहीं है, तो यह वैट अधिनियम की धारा 22(1) के तहत पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के अधीन नहीं हो सकता है।"

26. विद्वान एकल न्यायाधीश ने कंडिका 36 और 37 में निम्नलिखित टिप्पणी की:—

"36. वर्तमान मामले के तथ्यों पर लौटते हुए, फिल्टर कंपनी के मामले (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को देखने के बाद, यह स्पष्ट है कि इस मामले में, 12-5-2014 को नोटिस जारी करने के बाद 18-2-2015 तक मूल्यांकन अधिकारी द्वारा मामले की सुनवाई की गई, लेकिन वैट अधिनियम की धारा 21(7) के तहत मूल्यांकन का कोई आदेश पारित नहीं किया गया, हालांकि 12-5-2014 को नोटिस जारी करके मूल मूल्यांकन कार्यवाही शुरू की गई थी और मूल्यांकन अधिकारी द्वारा समय-समय पर मामले की सुनवाई की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप वैट अधिनियम की धारा 21(2) में निहित प्रावधानों के आधार पर माना गया मूल्यांकन हुआ, जो कि आयुक्त द्वारा चयन किए जाने पर उनके कहने पर एक कैलेंडर वर्ष की अवधि के भीतर वैट अधिनियम की धारा 21(3) के तहत पुनर्मूल्यांकन योग्य था। इस प्रकार, वैट अधिनियम की धारा 22(1) को लागू करने के लिए क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य और शर्त अर्थात मूल्यांकन का आदेश वैट अधिनियम की धारा 22(1) के तहत



पुनर्मूल्यांकन के लिए नोटिस जारी करने की तिथि पर अस्तित्व में नहीं था। इसलिए, विद्वान मूल्यांकन अधिकारी वैट अधिनियम की धारा 22(1) के तहत पुनर्मूल्यांकन के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए क्षेत्राधिकार-रहित था और अंततः पारित किया गया पुनर्मूल्यांकन का आदेश अधिकार क्षेत्र और विधि के अधिकार के बिना है और धारा 22(1) में निहित प्रावधानों के विपरीत है, इसलिए इसे अभिखंडित किया जाना चाहिए।

37. इससे मेरा अगला प्रश्न यह उठता है कि क्या वैट अधिनियम की धारा 22(2) के अंतर्गत लगाया गया जुर्माना संधारणीय है। वैट अधिनियम की धारा 22(2) में यह प्रावधान है कि आयुक्त, जहां उप-धारा (1) के अंतर्गत किए गए कर निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन में चूक डीलर के कारण हुई है, उस पर कर निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन की राशि से दुगुनी से अधिक नहीं, बल्कि निर्धारित कर की राशि से कम नहीं, जुर्माना लगाएगा। जहां उप-धारा (1) के अंतर्गत कर निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन में चूक डीलर के कारण हुई है, वहां जुर्माना पुनर्मूल्यांकन की ओर ले जाने योग्य है। वर्तमान मामले में, यह पहले ही अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि कर निर्धारण का कोई आदेश नहीं है, क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी ने कोई कर निर्धारण आदेश पारित नहीं किया है और इस प्रकार, कर निर्धारण अधिकारी की ओर से मूल कर निर्धारण आदेश पारित करने में विफलता हुई है। इस कारण कि पुनर्मूल्यांकन का आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना और विधि के प्राधिकार के बिना पारित किया जाना है, इसलिए पुनर्मूल्यांकन पर जुर्माना लगाने वाला आदेश कायम नहीं रह सकता और तदनुसार, इसे अभिखंडित किया जाना चाहिए।

28.प्रश्न यह है कि वैट अधिनियम की धारा 22 में प्रकट होने वाले “मूल्यांकन के आदेश की तिथि” और “किसी डीलर का मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन किया गया है” का क्या अर्थ लगाया जाना चाहिए।

हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रावधान यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते हैं कि वैट अधिनियम की धारा 22 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने से पहले किसी डीलर का मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन आदेश के माध्यम से किया जाना चाहिए, वह भी मूल्यांकन के आदेश की तिथि से पांच कैलेंडर वर्ष की अवधि के भीतर। केवल आदेश पारित करने की स्थिति में, पांच कैलेंडर वर्ष की अवधि, जो सीमा अवधि है, मूल्यांकन के आदेश की तिथि से गणना की जा सकती है। धारा 22 का प्रयोग केवल तभी स्वीकार्य है जब किसी व्यापारी का कर निर्धारण (क) कम किया गया हो या कर निर्धारण से बच गया हो या (ख) कम दर पर कर निर्धारण किया गया हो या (ग) कर निर्धारण करते समय कोई गलत कटौती की गई हो या (घ) कर निर्धारण करते समय इनपुट कर में छूट त्रुटिपूर्ण तरीके से दी गई हो या (ङ) कर निर्धारण त्रुटिपूर्ण हो और किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी निर्णय या आदेश के परिणामस्वरूप या उसके आलोक में, जो अंतिम हो गया हो, राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल हैलिखित में कर निर्धारण आदेश के अभाव में पूर्वोक्त पूर्व शर्तें मान्य नहीं की जा सकती हैं तथा इस दृष्टि से, मान लिए गए कर निर्धारण के संबंध में वैट अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत कोई सहारा नहीं लिया जा सकता है।



29. वैट नियम, 2006 के अध्याय VI के अंतर्गत नियम 20 "रिटर्न" से संबंधित है।नियम 20(2)(घ), जिस पर श्री शर्मा ने अवलम्ब लिया है, दिनांक 02.06.2011 की अधिसूचना द्वारा सम्मिलित किया गया था।इसके बाद, दिनांक 21.10.2011 की अधिसूचना द्वारा नियम 20(2)(घ) में "प्रपत्र 17-ए" शब्दों के पश्चात "दो प्रतियों में" शब्द सम्मिलित किया गया।नियम 20(2)(घ) में प्रावधान है कि इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न प्रस्तुत करने के पश्चात, जमा किए गए कर के चालान की प्रति के साथ संबंधित सर्किल में तीस दिन के भीतर प्रपत्र 17-ए दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा पावती प्राप्ति की जानी चाहिए।

नियम 20(2)(ई) में प्रावधान है कि यदि खंड (डी) के तहत निर्धारित पावती प्राप्ति नहीं की जाती है, तो यह माना जाएगा कि कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है। श्री शर्मा का यह तर्क कि इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न जमा करने की पावती दिनांक ही मानित मूल्यांकन के आदेश दिनांक है, और इसलिए यह कहना त्रुटिपूर्ण है कि मूल्यांकन के आदेश की कोई दिनांक नहीं है, जो कि त्रुटि है। रिटर्न जमा करने के लिए प्राप्ति पावती का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि पावती के परिणामस्वरूप मूल्यांकन का आदेश जारी हुआ है।"

6. इसके बाद, एक और ऐसा ही मामला था जो "मेसर्स आयरन जंक्शन राजबंध मैदान, रायपुर बनाम वाणिज्यिक कर आयुक्त" के मामले में कर अपील संख्या 74/2022 और मेसर्स पारले एग्रो प्राइवेट लिमिटेड बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य के मामले में डब्लू पी (टी) संख्या 20/2021 में युगल पीठ के समक्ष विचार के लिए आया था, जिसमें "मेसर्स टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड" (सुप्रा) के मामले में दिए गए आदेश के अनुसार कर मामले का निराकरण किया था।

7. जहां तक तथ्यात्मक पहलू का संबंध है, क्या अधिकारियों द्वारा अधिनियम की धारा 21(1) के तहत इस तरह का कोई मूल्यांकन आदेश पारित किया गया है, इस पर राज्य द्वारा कोई विवाद नहीं है। हालांकि, राज्य के अधिवक्ता ने केवल अपने रुख को उचित ठहराने की कोशिश की क्योंकि इस तरह के मूल्यांकन आदेश की आवश्यकता नहीं है। अधिनियम की धारा 21(1) के तहत याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि मानित मूल्यांकन धारा 22 को लागू करते हुए मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए पर्याप्त है और मानित मूल्यांकन ही मूल्यांकन के आदेश के रूप में माना जाना चाहिए।

8. राज्य-प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वैट अधिनियम, 2005 के नियम 20(2)(बी) के अनुसार, याचिकाकर्ता ने कर निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए 12,66,29,154/- रुपये (अधिकतम खुदरा मूल्य के आधार पर सकल कारोबार) की राशि का फॉर्म-18 (वार्षिक विवरण) प्रस्तुत किया है। इसके बाद, पत्र क्रमांक 296 दिनांक 31.03.2016 (रिट याचिका के पृष्ठ क्रमांक 159 पर अनुलग्नक पी-12) के माध्यम से। उपायुक्त (प्रवर्तन), वाणिज्यिक कर, रायपुर (छ.ग.) ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और वैट अधिनियम, 2005 की धारा 22(1) के प्रावधानों के अनुसार कर निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए फॉर्म-18 (वार्षिक विवरण) का पुनः कर निर्धारण करने का निर्देश दिया है।उन्होंने आगे तर्क दिया कि छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य बनाम मेसर्स टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड एवं अन्य के मामले में युगल पीठ के निर्णय को राज्य द्वारा पहले ही सर्वोच्च



न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा चुकी है। यद्यपि राज्य के विद्वान् अधिवक्ता ने निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया है कि कोई अंतरिम आदेश नहीं है।

9. अभिलेख से यह स्पष्ट है कि उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई कर निर्धारण आदेश पारित नहीं किया है। याचिकाकर्ता ने वैट अधिनियम, 2005 के नियम 20(2)(बी) के अनुसार केवल फॉर्म-18 प्रस्तुत किया है, इसलिए मूल कर निर्धारण कार्यवाही में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश के बिना, उप आयुक्त (प्रवर्तन), वाणिज्यिक कर, रायपुर को वैट अधिनियम, 2005 की धारा 22(1) के तहत याचिकाकर्ता को पुनर्मूल्यांकन आदेश के लिए निर्देशित करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि अधिकारिता केवल तभी प्राप्त की जा सकती है, जब वैट अधिनियम की धारा 21(1) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश दिया गया हो।

10. पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई उक्त तर्क को देखते हुए, इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि राज्य के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए यही तर्क ऐसे हैं जिन पर युगल पीठ ने टाटा टेलीसर्विसेज (सुप्रा) मामले का निर्णय करते समय विस्तार से विचार किया है। युगल पीठ ने मेसर्स आयरन जंक्शन, राजबंध मैदान, रायपुर (सुप्रा) के मामले में टैक्ससी संख्या 74/2022 में फिर से इसी बात का पालन किया है और युगल पीठ द्वारा पहले लिए गए उसी रुख को दोहराया है। यह दृढ़तापूर्वक अभिनिर्धारित किया गया है कि जब तक संबंधित अधिकारियों द्वारा धारा 21(1) के तहत मूल्यांकन का एक विशिष्ट आदेश पारित नहीं किया जाता है, तब तक अधिनियम की धारा 21(2) के तहत मान लिए गए मूल्यांकन को फिर से नहीं खोला जा सकता है।

11. इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा इस विषय पर दिए गए उपरोक्त न्यायिक उदाहरण तथा एकलपीठ द्वारा भी निर्णीत रिट याचिकाओं के समूह के तहत यह न्यायालय भी यही दृष्टिकोण अपनाता है तथा इस प्रकार वर्तमान रिट याचिका को भी स्वीकार करता है। उत्तरवादी संख्या 1 द्वारा पारित दिनांक 15.05.2017 के अनुलग्नक पी/4 तथा उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 22.01.2018 के अनुलग्नक पी/8 के आदेश को उक्त सीमा तक अभिखंडित/अपास्त किया जाता है।

12. तदनुसार, रिट याचिका स्वीकृत की जाती है तथा उसका निराकरण किया जाता है।

सही/-
(अरविंद कुमार वर्मा)
न्यायाधीश



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रामाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

